

फर्द अहकाम

ललित किशोर बनाम कल्याण वगै०

नं: 151 / 2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.11.2021	वकील वादी ने वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई	
	निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 22.12.2021 को पेश हो। ↓ उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	
22/12/21	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुनः दिनांक 3/3/22 को पेश हो।	
3/3/22	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुनः दिनांक 25/5/22 को पेश हो।	
25/5/22	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुनः दिनांक 20/7/22 को पेश हो।	
01/8/22	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अभिवक्ता उपस्थित नहीं वस्तु बफालत वादी व उनके अभिवक्ता के बार-बार आवक लगवारे नई-उपकी गोर से कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद स्वार्थिज सिमा जाता है। पत्रावली प्रोसेस सुमार होकर फीचर से काम हो वाद समझील शामिल दफ्तर ही। ↓ उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	